



## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

प्रेषक,

उपायुक्त,  
राँची

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
राँची जिला

पत्रांक 480/जि०ग्रा०

दिनांक 20/11/2006

विषय: एन० आर० ई० जी० ए० के अन्तर्गत दिनांक 13/11/06 को स्वीकृत तालाब/कूप योजनाओं के प्राक्कलन संशोधित किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 13/11/06 को एन० आर० ई० जी० ए० अन्तर्गत स्वीकृत तालाब/कूप योजनाओं में तकनीकी त्रुटियों में सुधार करते हुए निम्नप्रकार प्राक्कलन में सुधार किया गया है:-

स्वीकृत प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन
1. तालाब - 200'×200'×15' प्राक्कलित राशि 9.288 लाख	तालाब - 200'×200'×15' प्राक्कलित राशि 5.707 लाख
2. तालाब - 150'×150'×15' प्राक्कलित राशि 5.148 लाख	तालाब - 150'×150'×15' प्राक्कलित राशि 3.166 लाख
3. तालाब - 120'×100'×15' प्राक्कलित राशि 2.754 लाख	तालाब - 120'×100'×15' प्राक्कलित राशि 1.672 लाख
4. कूप - 20'×35' प्राक्कलित राशि 1.419 लाख	कूप - 20'×35' प्राक्कलित राशि 1.194 लाख

संशोधित प्राक्कलन के अनुसार प्रखण्डवार स्वीकृत योजनाओं की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। पूर्व में निर्गत शर्तों के अनुरूप स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संशोधित प्राक्कलित राशि पर पंचायत के माध्यम लाभुक समिति से कार्यान्वयन कराया जाय।

अनुलग्न: यथोक्त

विश्वासभाजन,

उपायुक्त,  
राँची